

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2016/3485

दिनांक: 05-08-2016

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त सम्बंधित शासकीय एवं  
अशासकीय महाविद्यालय,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर

विषय:- निशक्त छात्र/ छात्राओं हेतु प्रीमेट्रिक स्कालरशिप एवं पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन  
ऑनलाइन प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय), जिला  
ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक नि.छ./2015-16/ 2404 दिनांक 27.07.2016 में समस्त  
सम्बंधित महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 तक आवश्यक रूप से संलग्न पत्र अनुसार  
जानकारी भरकर सम्बंधित विभाग (संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण) की  
ओर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव 5/8/16

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय ) जिला ग्वालियर

कार्यालय दूरभाष नंबर 0751-2346967 ईमेल pswgwa@mp.nic.in

क्रमांक/नि0छा/2015-16/2404

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16

प्रति,

- 1- कुल सचिव,  
जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर
  - 2- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग ग्वालियर
  - 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर
- विषय :- निशक्त छात्र/छात्राओं हेतु प्रीमेट्रिक स्कालरशिप एवं पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप के आवेदन ऑनलाईन प्रेषित करने के संबंध में
- संदर्भ :- संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक /नि0क0/9/2015/1663 दिनांक 31-10-2015 एवं समग्र व्ही0सी0दिनांक 8-7-2016 के पालन में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर का पत्र क्रमांक/नि0छा/2015-16/2240 ग्वालियर, दिनांक 12-7-2016

विषयांतर्गत संदर्भित शासन आदेश पत्र की प्रतिलिपि आपकी ओर सहज राहमें हेतु भेजी जाकर शासनादेशानुसार समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को आपके स्तर से निर्देशित करने की लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर, द्वारा लिखा गया था, कि संबंधित संस्था के प्राचार्य/प्राचार्या प्राप्त निशक्त छात्र/छात्राओं के आवेदन भारत सरकार की बैवसाइट पर आनलाईन करवाकर अपनी अनुशांसा सहित जिलान्तर्गत नोडल अधिकारी (संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण) ग्वालियर को आवेदन हार्ड कॉपी अग्रेषित कर 10-अगस्त 2016 तक नियत समयवधि में भिजवाना सुनिश्चित करें। निःशक्त हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु योजना का प्रचार प्रसार किया जाने हेतु भारत सरकार की मार्गदर्शिका सामाजिक न्याय विभाग की बैवसाइट पर भी उपलब्ध है। शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य द्वारा निःशक्त हितग्राहियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आनलाईन करके समस्त मार्गदर्शिका की कंडिका 9 का विशेष रूप से अध्ययन कर लें, ताकि भविष्य में प्राचार्य एवं प्राचार्या विद्यार्थियों को असुविधा न हो। किन्तु आज दिनांक तक किसी भी संबंधित शैक्षणिक संस्था/संस्थाओं द्वारा निःशक्त छात्र/छात्रा का आवेदन ऑन लाईन होकर हार्ड कॉपी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ग्वालियर को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत निःशक्त जनों हेतु स्कालरशिप प्राप्त करने के संबंध में कंडिका शर्तें कंडिका 5.1 एवं 5.3 में पूर्ण रूप से उल्लेखित है। इस हेतु आवेदन कार्या को भारत सरकार की बैवसाइट पर क्लिक करना होगा। अतः शासनादेशानुसार प्रचार प्रसार एवं निशक्तजन छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रेषित कर भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर, आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर

जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27-7-16

क्रमांक/नि0छा/2015-16/2405

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर संचालक जन सम्पर्क विभाग ग्वालियर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनाय।
- 2 जिला परियोजना समन्वयक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 बी0आर0सी0ग्वालियर/मुसुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 अधीक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ0मा0वि0 ग्वालियर/प्राचार्य, माधव अमावस्य ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

कलेक्टर

जिला ग्वालियर